राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 15(11)साप्र/5/14 जयपुर, दिनांकः 15/10/14

समस्त **प्रबन्धक,**
विश्राम **भवन (राज.)।**

प्रबन्धक,
ट्रांजिट **हॉस्टल,**
जयपुर **(राज.)।**

प्रबन्धक,
राजस्थान **हाउस/जोधपुर हाउस/**
राजस्थान **स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।**

प्रबन्धक,
राजस्थान **भवन,**
वाशी, **नवी मुम्बई।**

विषयः– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की पालना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त अशा. पत्र क्रमांक एफ. 16(4)(5)निमअ/यौ.उत्पी./13/पार्ट–I/275–311 दिनांक 04.06.2014 (सामान्य **प्रशासन** विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार छोलक)
शासन सहायक सचिव

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874/9414085447,(SO)9414238347(Fax)-5116626,2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, **Email-arvind.kc@rajasthangov.in**

मत्यमेव जयते

गुरजोत कौर
आई. ए. एस

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर।
टेलीफैक्स न0 0141–2227633 (कार्या.)

अ.शा. पत्र क्रमांक:एफ16(4)(8)/निमअ/मसंप्र/यौ.उत्पी./का.शा./2014
जयपुर, दिनांक : 13/08/2014

प्रिय श्री सिंह,

इस विभाग के अ.शा. पत्र क्रमांक 275–311 दिनांक 04.06.2014 से भारत सरकार के द्वारा लागू महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) की धारा 4 (1) के अनुसार ऐसे प्रत्येक कार्यालय/प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, में **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** कराते हुए गठित की गई समिति के सदस्यो का पूर्ण विवरण मय दूरभाष इस विभाग को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था इस संबंध में विभाग के द्वारा परिपत्र क्रमांक 65765 दिनांक 30.12.2013 से समस्त विभागो को निर्देश प्रेषित किये जा चुके है। किन्तु अधिनियम की पालना में **आंतरिक** शिकायत समितियो के गठन में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है ।

चूकिं अधिनियम के प्रावधानो की समयबद्ध पालना की जानी आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि आपके अधीन राज्य के समस्त कार्यालयो/निजी ईकाईयो/गैर संगठित क्षेत्र (Un-Organized Sector) में परिपत्र की पालना में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करवाते हुये कृपया गठित की गई समिति के सदस्यो का पूर्ण विवरण मय दूरभाष इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें। अधिनियम की पालना के पर्यवेक्षण/प्रबोधन के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का भी श्रम करें। इसके अतिरिक्त आपके विभाग में गठित की गई आन्तरिक समिति के सदस्यो का पूर्ण विवरण मय दूरभाष सुलभ स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करावें।

कृपया अधिनियम की भावना के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित,

सद्भावी

(गुरजोत कौर)

श्री अजीत कुमार सिंह,
प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय,
स्टेट मोटर गैराज एवं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल विभाग

खेमराज, आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव

सत्यमेव जयते

महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, सरकार

क्रमांकः एफ16 (4) (5)/निमअ/यौ.उत्पी./13/पार्ट–I/275-311
जयपुर, दिनांकः 04.06.2014

विषय : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) की पालना करने के संबंध में।

माननीय श्रीवास्तव साहब,

जैसा की आपको विदित है कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) लागू कर दिया है (अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है)। अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/ प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** प्रत्येक कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विभाग के द्वारा परिपत्र क्रमांक 65765 दिनांक 30.12.2013 से समस्त विभागो को निर्देश प्रेषित किये जा चुके है। सुलभ संदर्भ हेतु परिपत्र की प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि आपके अधीन राज्य के समस्त कार्यालयो/निजी ईकाईयो/ गैर संगठित क्षेत्र (Un-Organized Sector) में परिपत्र की पालना में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करवाते हुये कृपया गठित की गई समिति के सदरयो का पूर्ण विवरण मय दूरभाष इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें। अधिनियम की पालना के पर्यवेक्षण/प्रबोधन के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का भी श्रम करें। इसके अतिरिक्त आपके विभाग में गठित की गई आन्तरिक समिति के सदस्यो का पूर्ण विवरण मय दूरभाष सुलभ स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करावें।

कृपया अधिनियम की भावना के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

सद्भावी

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

श्री राकेश श्रीवास्तव,
अति0 मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय,
नागरिक उड्डयन, सम्पदा एवं स्टेट मोटर गैराज,
चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एवं महानिदेशक नागरिक उड्डयन, विभाग

1135, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर – 302005
दूरभाष : 0141–2227750 फेक्स : 0141–2227750

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 65765 जयपुर दिनांकः– 30/1/13

परिपत्र

महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अध्याय II- आंतरिक शिकायत समितियों का गठन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/ प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** प्रत्येक कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है।

2. आंतरिक शिकायत समिति का गठन नियोक्ता के द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा:–

(अ.) अध्यक्ष के पद पर ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो। यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसे वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे।

(ब.) कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हों तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी हो।

(स.) एक सदस्य को ऐसी स्वयं सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुद्दे में पर्याप्त जानकारी रखता हो।

बशर्ते की उपरोक्तानुसार नामित सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य महिलाए होनी चाहिए।

(8) 4 (9)

कमांकःएफ. 16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 65766-966 जयपुर, दिनांकः 30/1/13

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान
9. विभागाध्यक्ष समस्त.....
10. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. महानिरीक्षक पुलिस, (मानवाअधिकार)
12. आयुक्त एवं सचिव, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान,. जयपुर
13. सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, राजस्थान, जयपुर
14. जिला कलेक्टर समस्त.....
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त.....
16. उपनिदेशक, आईसीडीएस/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग समस्त..... .....
17. कार्यालय आदेश प्रति।

(राजेश यादव)
निदेशक,
महिला अधिकारिता विभाग